

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग”
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2008—ज्येष्ठ 22, शक 1930

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005.—यतः प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2008 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 का 29) ।
(ख) “अभिकरण” से अभिप्रेत है, निजी सुरक्षा अभिकरण ।
(ग) “नियंत्रक प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन घोषित ऐसा नियंत्रक प्राधिकारी ।

- (घ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ।
- (ङ) “अनुज्ञप्ति” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत अनुदत्त अनुज्ञप्ति ।
- (च) इन विनियमनों में जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जैसा कि उन्हें निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 2005 का 29) में परिभाषित किया गया है ।
- (छ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ।

3. **आवेदकों से पूर्ववृत्त का सत्यापन :—** (1) अनुज्ञप्ति के निर्गम हेतु प्रत्येक आवेदक अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये प्ररूप 1 को पूरा करेगा और नई अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने अथवा उसके नवीकरण के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ इसे संलग्न करेगा । किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ के मामले में, आवेदक प्रत्येक स्वत्वधारी, हुसंख्यक, शेयरधारक, साझेदार या कंपनी निदेशक का भी भरा गया प्ररूप 1, मानों वे भी आवेदक हैं, संलग्न करेगा ।
- (2) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियंत्रक प्राधिकारी, आवेदक के ब्यौरे तथा आवेदन पत्र की विषयवस्तु के सत्यापन के लिये जैसी कि आवश्यक समझे वैसी जांच कर सकेगा ।
- (3) नियंत्रक प्राधिकारी उस जिले के जिला पुलिस अधीक्षक से, जहां अभिकरण अपनी गतिविधियां आरंभ करना चाहती है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा । इस प्रयोजन के लिये, वह अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र और उसके संलग्नक की एक प्रति, सत्यापन और रिपोर्ट के लिये उसे भेजेगा ।
- (4) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति, जिसके नाम पूर्ववृत्त प्ररूप भरा जाना है, के पूर्ववृत्त के सत्यापन कराने के अतिरिक्त, निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेगा :—
- (i) क्या आवेदक अथवा कंपनी ने या तो व्यक्तिशः या अन्य की साझेदारी में पूर्वतर में कोई निजी सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण, और
 - (ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष अर्हता अथवा दक्षता है, जिससे निजी सुरक्षा अभिकरण के संचालन में उसे सुविधा मिल सके ।

4. **निजी सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन :—** (1) इससे पूर्व कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त अथवा काम पर रखा जाय, अभिकरण निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीति से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के बारे में स्वयं को समाधान करेगी—

- (क) व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का स्वयं सत्यापन द्वारा ।
- (ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर ।

परंतु व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट न हो जैसा कि इसके अधीन विहित किया जाये ।

- (ग) जिला पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च रैंक के प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट के आधार पर ।
- (2) नियोजन पाने का इच्छुक व्यक्ति या सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति प्ररूप 2 भरकर अभिकरण को प्रेषित करेगा । पिछले 5 वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहने वाले व्यक्ति के मामले में प्ररूपों की संख्या जिलों की संख्या के अनुसार होगी ।
- (3) सुरक्षा अभिकरण स्वयं प्ररूप में भरे गये ब्यौरों की सत्यता की जांच करेगा या प्ररूप को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजकर करायेंगा ।

(4) राज्य सरकार प्ररूप और पुलिस द्वारा चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की सेवा के रूप में फीस जमा करने की रीति विहित कर सकेगी ।

(5) पुलिस व्यक्ति की पहचान सिद्ध करेगी और जहां व्यक्ति निवास कर चुकने अथवा निवास करने का दावा कर रहा है, उस स्थान पर जाकर वहां के सम्मानित निवासियों से उसकी पहचान स्थापित करेगी और उसकी ख्याति के बारे में सुनिश्चित करते हुए, व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी । वे चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट तैयार करने से पहले संबद्ध पुलिस स्टेशन के पुलिस अभिलेखों तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अन्य अभिलेखों का अवलोकन करेगी । इस रिपोर्ट में व्यक्ति द्वारा चरित्र व पूर्ववृत्त प्ररूप में किये गये प्रत्येक दावे पर पुलिस की टिप्पणी तथा सत्यापन अवधि में जीविका के साधन सहित उसकी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य रिपोर्ट भी होगी । पुलिस विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन करेगी कि क्या ऐसी समयावधि में व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा कारावास के दंडनीय अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है ।

(6) पुलिस विनिर्दिष्ट रूप से यह टिप्पणी करेगी कि क्या काम पर रखे जाने वाला या नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति, जो निजी सुरक्षा अभिकरण के सत्यापन के अधीन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करेगा ।

(7) पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट चरित्र और पूर्ववृत्त प्ररूप की पावती के 90 दिन के भीतर जारी कर दी जाए ।

(8) किसी व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त संबंधी पुलिस की रिपोर्ट को गोपनीय श्रेणी में रखा जायेगा यह चरित्र व पूर्ववृत्त के लिये अनुरोध करने वाली सुरक्षा अभिकरण के पदासिन अधिकारी के नाम से होगी ।

(9) एक बार चरित्र व पूर्ववृत्त रिपोर्ट के जारी होने के बाद यह तीन वर्षों तक विधिमान्य होगी ।

(10) पुलिस सत्यापन के आधार पर एवं उनके स्वयं द्वारा सत्यापन के आधार पर, सुरक्षा अभिकरण प्ररूप 3 में व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगी यह प्रमाण पत्र उस सुरक्षा अभिकरण के अधीन उस व्यक्ति के कर्मचारी न होने के बाद भी, सुरक्षा अभिकरण द्वारा वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

5. सुरक्षा प्रशिक्षण :— (1) नियंत्रक प्राधिकारी, सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिये विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा । यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 कार्य दिवसों की अवधि में दिया जाने वाला, न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में निर्देश तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा । भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कर्मियों को केवल संचालित पाठ्यक्रम, न्यूनतम 40 घंटे कक्षा में निर्देश और 16 घंटे फील्ड प्रशिक्षण होगा जो 7 कार्य दिवसों में होगा ।

(2) प्रशिक्षण के निम्न विषय होंगे अर्थात् :—

(क) जनता में आचरण और यदी को सही ढंग से धारण करना ।

- (ख) शारीरिक क्षमता प्रशिक्षण ।
- (ग) शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, भवन/अपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा ।
- (घ) अग्नि शमन ।
- (ङ) भीड़ नियंत्रण ।
- (च) पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच ।
- (छ) अंग्रेजी अक्षरों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए जैसा कि सामान्यतः पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण शीट में आते हैं ।
- (ज) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान ।
- (झ) प्राथमिक चिकित्सा ।
- (ञ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन ।
- (ट) रक्षात्मक ड्राइविंग (सशस्त्र गाड़ियों के ड्राइवर के लिये अनिवार्य तथा दूसरों के लिये वैकल्पिक) ।
- (ठ) अवर्जित आयुद्धों तथा आग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक) ।
- (ड) भारतीय दंड संहिता का प्रारंभिक ज्ञान, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया, शस्त्र अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं), विस्फोटक अधिनियम (केवल प्रभावी धाराएं) ।
- (ढ) पुलिस तथा सैन्य बलों के रैंक के बैज की पहचान ।
- (ण) जनता और पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान ।
- (त) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का प्रयोग (उदाहरण के लिये सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण) और
- (थ) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिये) ।
- (3) सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्ररूप 4 में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (4) सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण सुविधा के कृत्यों का निरीक्षण करेगा । सामान्यता ऐसा निरीक्षण प्रतिवर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा ।
- (5) सभी प्रशिक्षण अभिकरण, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची उसे प्रस्तुत करेंगे ।

6. सुरक्षा गार्डों के लिये शारीरिक योग्यता एवं मानदण्ड - (1) व्यक्ति, सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य पर रखने या नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा यदि वह नीचे दर्शाये अनुसार शारीरिक मापदण्ड को पूरा करता हो :-

(i) कद, 160 सेंटीमीटर (महिला 150 सेंटीमीटर), वजन, कद वजन की मानक सारणी के अनुसार, सीना 80 सेंटीमीटर जो 04 सेंटीमीटर फूलना चाहिये (महिलाओं के लिये सीना माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है)

(ii) नेत्र दृष्टि- दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 चश्मे अथवा उसके बिना, वर्णांधता से मुक्त, सुरक्षा उपकरणों के प्रदर्श में रंगों को विभेद और पहचान करने और अंग्रेजी अक्षरों को पढ़ने तथा प्रदर्श में अरबी के अंकों को पढ़ने उन्हें समझने के योग्य होना चाहिए ।

(iii) नॉक-नी और चिपटा पैर से मुक्त, आठ मिनट में एक कि०मी० दौड़ने योग्य ।

(iv) श्रवण दोष से मुक्त हो, सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो ।

(v) अभ्यर्थी तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिये बल प्रयोग करने के लिये कुशल और समर्थ हो ।

(2) अभ्यर्थी किसी छुआ-छूत की बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो । वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त न हो जिसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिये अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए ।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड की किसी स्वास्थ्य परीक्षा के प्रत्येक 12 माह पश्चात् उसकी अंतिम ऐसी स्वास्थ्य जांच की जाती है ताकि उसके प्रवेश के समय निर्धारित शारीरिक मानदंड का सतत अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

7. पर्यवेक्षकों के लिये उपबंध :- (1) 15 से अनधिक निजी सुरक्षा गार्डों के कार्य का पर्यवेक्षण के लिये एक पर्यवेक्षक होगा ।

(2) विभिन्न परिसरों में निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा ड्यूटी पर होने की दशा में और एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण, अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी ताकि कम से कम प्रत्येक छः सुरक्षा गार्डों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिये, एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो ।

8. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन की रीति :- (1) किसी निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 5 के अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (1) के अधीन विहित प्ररूप में किया जायेगा ।

- (2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक आवेदन के साथ जहां आवेदन किया जा रहा है, संबद्ध राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी को संदेय, धारा 7 के खंड (3) के अधीन विहित मांगदेय ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक फीस के भुगतान के रूप में जमा किया जायेगा ।
- (3) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को या तो व्यक्तिशः अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा ।
- (4) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन प्राप्त करने व आवेदन प्राप्ति की तिथि नोट करने के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक को एक पावती देगा ।

9. अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना :- (1) नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति के पश्चात नियंत्रक प्राधिकारी आवेदक की उपयुक्तता के बारे में तथा आवेदित कार्य क्षेत्र के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में भी स्वयं का समाधान करेगा, तथा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, प्ररूप 6 में सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी निजी, सुरक्षा अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण तथा दक्षता का सत्यापन कर सकेगा ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी ऐसे सुरक्षा अभिकरणों की अनुज्ञप्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा का पुनर्विलोकन कर सकेगा जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने की शर्तों का अनुपालन न किया हो ।

10. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्त :- (1) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विहित अनुसार समायावधि के भीतर निजी सुरक्षा सेवा संबंधी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अभिकरण को बनाने वाले के प्रत्येक व्यक्ति का नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार के लिये पता और मुख्य व्यवसाय के बारे में सूचना देगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रक प्राधिकारी को अभिकरण को बनाने वाले के व्यक्तियों के पते में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में, ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी, निजी सुरक्षा अभिकरण में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या निजी सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षकों या अभिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध तय किए गये आपराधिक आरोपों के बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा । इस संसूचना की एक प्रति उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा, जहाँ आरोपी व्यक्ति निवास करता है ।

(5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, इस नियमों में विहित शर्तों के रूप में जिन पर अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, निजी सुरक्षा गार्डों के लिए विहित शारीरिक मानकों और उनके प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(6) इन नियमों में प्रावधान के सिवाय अनुज्ञप्ति प्रदान हेतु भुगतान की गई रकम वापसी योग्य नहीं होगी ।

11. अनुज्ञप्ति का नवीकरण :- (1) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये प्रत्येक अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये ली जाने वाली फीस इसके अनुदत्त के लिये ली गई फीस के समान होगी ।

12. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये शर्तें :-(1) अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक, नियंत्रक प्राधिकारी के अधिकारिता-में अपने कारोबार का प्रधान स्थान बनाए रखता है ।

(ii) आवेदक, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों को अपेक्षित प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है ।

(iii) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना जारी रखता है ।

(iv) पुलिस को आवेदक की अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के आवेदन हेतु प्ररूप वही होगा जो मूल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु प्ररूप है ।

13. अपील व प्रक्रिया :- (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील प्ररूप 7 में की जाएगी जो पीड़ित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक द्वारा अपील अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) नियंत्रक प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 14 के अधीन फाइल की जाने वाली अपील के लिये विहित फीस और इसके भुगतान की विधि निर्धारित कर सकेगा ।

14. अभिकरण द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर :- अधिनियम के अंतर्गत अभिकरण द्वारा संधारित किये जाने के लिये अपेक्षित रजिस्टर प्ररूप 8 में रखा जायेगा ।

15. फोटो पहचान-पत्र :-(1) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक फोटो पहचान-पत्र अभिकरण द्वारा प्ररूप 9 में जारी किया जाएगा ।

(2) फोटो पहचान-पत्र में पूरे चेहरे का रंगीन चित्र, निजी सुरक्षा गार्ड का पूरा नाम, अभिकरण का नाम और फोटो पहचान-पत्र जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान संख्या होगी ।

- (3) फोटो पहचान-पत्र में अभिकरण में व्यक्ति की स्थिति और तारीख, जिस तक फोटो पहचान-पत्र विधिमान्य है, का स्पष्ट उल्लेख होगा।
 - (4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा और विवरण में हुए किसी भी परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
 - (5) निजी सुरक्षा गार्ड को जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र, एक बार-प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति समाप्त होने या उसे काम से हटा दिए जाने के पश्चात्, जारीकर्ता अभिकरण को वापस करना होगा।
 - (6) फोटो पहचान-पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की सूचना तत्काल जारीकर्ता निजी सुरक्षा अभिकरण को देनी होगी।
- 16. अन्य शर्तें :-** (1) चाहे प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी अपने निजी सुरक्षा गार्ड के लिये ड्यूटी पर यूनिफार्म पहनना अनिवार्य करे, या न करे, इसके होते हुए भी, प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को :-
- (क) अभिकरण का सुभेदक बाजू बैज।
 - (ख) संगठन में उसका पद दर्शाने वाला कंधे या वक्ष का बैज।
 - (ग) सीटी की डोरी से बंधी सीटी और जो बायीं जेब में रखी जाएगी।
 - (घ) फीते और सूराख सहित जूते।
 - (ङ.) सिर पर पहनने की टोपी जिस पर अभिकरण का सुभेदक चिन्ह भी हो सकता है।
- जारी करेगा और उन्हें पहनने का आबद्धकर बनाएगा।
- (2) निजी सुरक्षा गार्ड, जब वह ड्यूटी पर हो, तो उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र ऐसे होंगे जो उसकी दक्षतापूर्ण पालन में बाधा उत्पन्न न करें। विशेषकर, वे न तो बहुत तंग हों और न ही बहुत ढीले हों, जिससे उसकी गतिविधियां या अंगों को मोड़ने में बाधा हो।
 - (3) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड, अपने पास एक नोट बुक और एक लेखन उपकरण रखेगा।
 - (4) प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड जब वह सक्रिय सुरक्षा ड्यूटी पर हो, तो अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी फोटो पहचान-पत्र, अपने शरीर पर किसी सहज दृश्य स्थान पर कमर से उपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक का अंगूठा निशान * :-

आवेदक का हस्ताक्षर :-

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	पुलिस सत्यापन हेतु प्रेषित करने के लिए पुलिस थाने का नाम	तारीख
(1)	(2)	(3)

फीस रकम रुपयेनकद/मांगदेय ड्राफ्ट.....बैंक का नाममांगदेय देय
ड्राफ्ट संख्या

जारी करने की तारीख

कृपया फार्म भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। कृपया बड़े अक्षरों में भरें :-

(सावधानी :- कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों
छुपाने से उम्मीदवार अनुज्ञप्ति प्रदान हेतु अनुदान अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1. आवेदक का नाम (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

अंतिम नाम प्रथम नाम

2. यदि आपने अपने नाम में कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछला पूरे नाम (नामों) का
उल्लेख करें

3. लिंग (पुरुष/महिला)

4. जन्म तिथि

5. जन्म स्थान : ग्राम/नगर..... जिला

राज्य व देश

6. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (कुल नाम सहित, यदि कोई हो तो),
(आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

7. माता का पूरा नाम (कुल नाम सहित यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

8. यदि विवाहित हैं तो पति/पत्नी का नाम (कुल नाम सहित यदि कोई हो तो) (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

9. वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड सहित)

दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या

10. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे हैं, लिखिए : तिथि मास वर्ष

--	--	--	--	--	--

11. स्थायी पता, गली न./थाना, ग्राम तथा जिला (पिन कोड सहित)

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिये गए पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए। आपको पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास-स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियाँ देनी होंगी। प्ररूप की फोटो प्रति दी जा सकती है, परन्तु प्रत्येक प्ररूप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

से तक से तक

13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो, उनका व्यौरा दीजिए :

14. अन्य विवरण :

(क) शैक्षिक अर्हताएँ :

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो नियोक्ता का नाम व पता :

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण :

(घ) दृष्टिगोचर विभेदक चिन्ह :

15. क्या आपने पूर्व में किसी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन किया उसके भागीदार, बहुसंख्यक शेयरधारक अथवा निदेशक रहें हैं ? यदि हों तो अभिकरण का नाम, पता तथा इसका अनुज्ञप्ति व्यौरा दीजिए।

16. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक है ? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी, कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें

17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

18. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाहियाँ लंबित है ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए।

19. स्वतः घोषणा :

इस प्ररूप तथा संलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

तारीख

स्थान

20. संलग्नक :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

(*पुरुष बाँए अंगूठे का तथा महिलाएँ दाँए अंगूठे का निशान लगाएँ)

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल संख्या

चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीख

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

पुलिस थाने का नाम

टिप्पणी: जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षक के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

आवेदक का अंगूठा निशान * :-

आवेदक का हस्ताक्षर :-

केवल कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए		
प्ररूप संख्या	पुलिस सत्यापन के लिए प्रेषित करने हेतु पुलिस थाने का नाम	तारीख

फीस रकम रुपये नकद/मांगदेय ड्राफ्ट..... बैंक का नाम मांगदेय देय
ड्राफ्ट संख्या

जारी करने की तारीख

कृपया फार्म भरने से पूर्व अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। कृपया बड़े अक्षरों में भरें :-

(सावधानी :- कृपया सही सूचना प्रस्तुत करें। प्ररूप में गलत सूचना देने अथवा तथ्यों के छुपाने से अभ्यर्थी प्राइवेट अभिकरण में नियुक्ति/कार्य पर रखने के अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है।)

1. आवेदक का नाम फोटो पहचान-पत्र में दर्शित (आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

अंतिम नाम प्रथम नाम

2. यदि आपने अपने नाम कभी कोई परिवर्तन किया है तो कृपया पिछला पूरे नाम (नामों) का उल्लेख करें

.....

3. लिंग (पुरुष/महिला)

4. जन्म तिथि

5. जन्म स्थान : ग्राम/नगर..... जिला

राज्य व देश

6. पिता का पूरा नाम/विधिक संरक्षक का पूरा नाम (कुल नाम सहित, यदि कोई हो तो आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

.....

7. माता का पूरा नाम (कुल नाम सहित यदि कोई हो तो आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

.....

8. यदि विवाहित है तो पति/पत्नी का नाम (कुल नाम सहित यदि कोई हो तो आद्याक्षर की अनुमति नहीं है)

.....

9. वर्तमान आवासीय पता, गली/सड़क सं. पुलिस थाना, ग्राम तथा जिला सहित (पिन कोड संख्या में दे)

.....

दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या

10. उपर्युक्त पते पर किस तारीख से निवास कर रहे हैं, लिखिए : तिथि मास वर्ष

--	--	--	--	--	--

11. स्थायी पता, गली न./थाना, ग्राम तथा जिला (पिन कोड सहित):--

.....

.....

12. यदि आपने स्तंभ (9) में दिये गए पते पर लगातार पाँच वर्ष तक निवास नहीं किया है तो कृपया अवधि सहित निवास का अन्य पता (पते) उल्लेख कीजिए। आपको पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अतिरिक्त निवास-स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त फोटो प्रतियाँ देनी होंगी। प्ररूप की फोटो प्रति दी जा सकती है, परन्तु प्रत्येक प्ररूप पर मूल फोटो तथा हस्ताक्षर अपेक्षित होंगे।

..... से तक से तक

.....

.....

13. विदेश में निवास के मामले में, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात आपने जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक निवास किया हो, उनका व्यौरा दीजिए :

.....

.....

.....

14. अन्य विवरण :

(क) शैक्षिक अर्हताएँ :

.....

(ख) पूर्व में यदि किसी पद पर रहें हों तो नियोक्ता का नाम व पता :

.....

(ग) पिछली नौकरी छोड़ने का कारण :

.....

(घ) दृष्टिगोचर विभेदक चिन्ह :

.....

15. क्या आपने किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/विधिक निकाय में कार्य किया है, हाँ/नहीं

.....

16. क्या आप जन्म/विरासत/रजिस्ट्रीकरण/देशीयकरण द्वारा भारत के नागरिक हैं ? यदि आपके पास कोई अन्य नागरिकता थी, कृपया पूर्व की नागरिकता का उल्लेख करें

.....

17. क्या आप भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के दंडादिष्ट किए गए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या और दांडिक अपराध का विवरण दीजिए (निर्णय की प्रति संलग्न कीजिए)

.....

18. क्या भारत में आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दांडिक अपराध की कार्यवाहियाँ लंबित हैं ? यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए।

.....

19. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई वारंट या उपस्थिति के लिए सम्मन या गिरफ्तारी के वारंट अथवा भारत से बाहर जाने की निषेधाज्ञा जारी की गई है। यदि ऐसा है तो न्यायालय का नाम, वाद संख्या तथा अपराध का विवरण दीजिए ।

.....

20. स्वतः घोषणा :

इस प्ररूप तथा संलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और मैं इसकी सत्यता के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँ ।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

तारीख

स्थान

(*पुरुष बाँए अंगूठे का तथा महिलाएँ दाँए अंगूठे का निशान लगाएँ)

21. मृत्यु तथा दुर्घटना की स्थिति में सूचना देने के लिए व्यक्ति का ब्यौरा :

नाम

पता

मोबाइल नंबर/दूरभाष नंबर

22. अनुसंलग्नक :

.....

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*)

(*पुरुष बाँए अंगूठे का तथा महिलाएँ दाँए अंगूठे का निशान लगाएँ)

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

फाइल संख्या

चरित्र और पूर्ववृत्त रिपोर्ट जारी करने की तारीख

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

पुलिस थाने का नाम

टिप्पणी: जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 3
(नियम 4 देखिए)
चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
पुत्र/पुत्री जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है, अच्छे
नैतिक चरित्र और अच्छी ख्याति के हैं और पिछले एक वर्ष से निम्न पते पर लगातार निवास कर
रहे हैं।

जन्म तिथि:

जन्म स्थान:

शैक्षिक अर्हता:

व्यवसाय:

वर्तमान पता:

स्थायी पता:

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता/दूरभाष संख्या

जारी करने की तारीख

प्ररूप 4
(नियम 4 देखिए)
प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या:

प्रशिक्षण अभिकरण का नाम
प्रशिक्षण अभिकरण का पता

अनुज्ञप्ति संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
पुत्र/पुत्री निवासी
..... ने से
..... तक प्रइवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति या काम पर रखे जाने के लिए
निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
उसके हस्ताक्षर नीचे साक्ष्यांकित हैं।

प्रमाण-पत्रधारी के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

जारी करने का स्थान:

जारी करने की तारीख:

प्ररूप 5
(नियम-8 देखिए)

निजी सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने के लिए नई अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी
(निजी सुरक्षा अभिकरण)
छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग,
मंत्रालय, रायपुर ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता निजी सुरक्षा अभिकरण के क्षेत्र में प्रचालन सेवाओं का कारोबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है :-

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक की राष्ट्रीयता
3. पुत्र/पत्नी/पुत्री
4. आवासीय पता
5. पता जहाँ आवेदक अपना अभिकरण प्रारंभ करने का इच्छुक है।
6. निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम
7. अभिकरण के स्वत्व, भागीदारी, बहुसंख्यक शेयरधारक, निदेशक तथा अध्यक्ष का नाम तथा पता ।
8. उपलब्ध सुविधाओं का नाम और विस्तार
9. अनुदेश देने के लिए लगे कर्मचारीवृंदों की अर्हताएँ।
नाम
आयु
पदनाम
10. सुरक्षा सेवाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपस्कर
(क) द्वार पर लगाए जाने वाले धातु संसूचक
(ख) हाथ वाले धातु संसूचक
(ग) सुरंग संसूचक
(घ) अन्य संसूचक
(i) बेतार दूरमाप
(ii) संचेतक युक्तियाँ

(iii) बख्तरबंद यान

(iv) शस्त्र

11. वर्दी के ब्यौरे जिसके अन्तर्गत रंग भी है यदि आवेदक के निजी सुरक्षा गाड़ों एवं पर्यवेक्षकों के लिए कोई वर्दी प्रयोग करने का आशय रखता है:
12. क्या आवेदक एक से अधिक जिलों में प्रचालन का इरादा रखता है ? यदि हाँ तो जिलों के नाम—
1.....2.....3.....4.....5.....
13. क्या आवेदक संपूर्ण राज्य में प्रचालन का इरादा रखता है ?
14. क्या आवेदक स्वयं प्रशिक्षण सुविधा रखता है अथवा बाहर से प्रशिक्षण दिलाएगा ? प्रशिक्षण सुविधा देने वाले का नाम व पता दीजिए।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

आवेदक का दूरभाष नंबर

आवेदक की तारीख

अनुलग्नक:

1. चालू आयकर निकासी प्रमाण-पत्र की प्रति
2. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथाविहित शपथ-पत्र
3. अन्य संलग्नक

प्ररूप 6
(नियम 8 देखिए)

.....छत्तीसगढ़ शासन

निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति

कम संख्या
तारीख

श्री/सुश्री (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री

निवासी को पते पर
.....(कार्यालय का पता) स्थित कार्यालय से जिला/राज्य (जो लागू
न हो उसे काट दें) निजी सुरक्षा अभिकरण के व्यवसाय के प्रचालन के लिए
..... छत्तीसगढ़ राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तारीख:

यह अनुज्ञप्ति तक वैध है।

हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता

नवीनीकरण
नियम 8 देखिए

नवीनीकरण की तारीख

अवसान की तारीख

1.

2.

3.

हस्ताक्षर

नवीनीकरण प्राधिकारी का नाम
पदनाम
कार्यालय का पता

प्ररूप 7
(नियम 9 देखिए)
अपील के लिए प्ररूप

अधिनियम की धारा 14 के अधीन अपील।

अपीलकर्ता

पुत्र/पुत्री निवासी

.....

.....

.....

बनाम

नियंत्रक प्राधिकारी/..... तारीख के

..... (नियंत्रक प्राधिकारी के) के आदेश, और निजी सुरक्षा अभिकरण के प्रचालन के लिए

अनुज्ञप्ति अस्वीकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध उपर्युक्त अपीलकर्ता

.....(राज्य के गृह सचिव) को अपील करते हैं, और आदेश के विरुद्ध आपत्ति के निम्न आधार दिए गए हैं।

1.

2.

3.

4.

संलग्नक दस्तावेजों की सूची:

.....

हस्ताक्षर

अपीलकर्ता का नाम व पदनाम

तारीख:

स्थान :

प्ररूप 8
(नियम 10 देखिए)
ब्यौरा-रजिस्टर

(भाग-1 प्रबंधन विवरण)

क्रम संख्या	अभिकरण का प्रबंध देखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम	माता-पिता/पति का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(भाग-II निजी सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक)

क्रम संख्या	गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता और दूरभाष संख्या	अभिकरण में नियुक्ति/छोड़ने की तारीख	स्थायी पता	फोटोग्राफ	बैज संख्या	तारीख सहित वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(भाग-III ग्राहक)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम और फोन नंबर	स्थान का नाम जहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है	उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड की संख्या और रैंक	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	सेवा समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(भाग-IV ड्यूटी रोस्टर)

क्रम संख्या	निजी सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक का नाम	ड्यूटी स्थान का पता	क्या कोई शस्त्र/गोला-बारूद उपलब्ध कराए गए हैं	ड्यूटी प्रारंभ करने की तारीख और समय	ड्यूटी समाप्त करने की तारीख और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररूप 9

(नियम 11 देखिए)

निजी सुरक्षा/पर्यवेक्षक के लिए फोटो-पहचान-पत्र

निजी सुरक्षा अभिकरण का नाम

नाम

कार्यालय पदनाम

पहचान संख्या

जारी कराने की तारीख तक वैध है।

पहचान-पत्रधारक के हस्ताक्षर

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2008

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12-06-2008 का हिन्दी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव:

Raipur, the 12th June 2008

NOTIFICATION

F No. 4-325/Home-C/2005.—In exercise of powers conferred by Section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act No. 29 of 2005), the Government of Chhattisgarh hereby makes the following rules namely :—

RULES

1. Short title, extent and Commencement: - (1) These Rules may be called the Chhattisgarh State Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2008.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. Definitions : - In these Rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005).

(b) "Agency" means the Private Security Agency.

(c) "Controlling Authority" means, the Controlling Authority so declared under the Act.

(d) "Form " means, a Form appended to these Rules.

(e) "License" means a license granted under the Act.

(f) The Words and expressions used about not defined in these regulation shall carry the meaning as have been assigned to them in the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act No. 29 of 2005).

(g) "State Government" means the State Government of Chhattisgarh.

- 3. Verification of the antecedents of the applicants :-** (1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for the issue of a fresh license or renewal shall enclose the Form I for verification of his antecedents. If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied by Form I for every proprietor or majority shareholder, partner or director of the company, as if they were also the applicants.
- (2) On receipt of such application, the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
- (3) The Controlling Authority shall obtain a no objection certificate from the District Superintendent of Police of the concerned District where the Agency intends to commence its activities. For this purpose it will send to him a copy of the application for license and its attachments for verification and report.
- (4) The District Superintendent of Police in addition to the causing of verification of antecedents of every individual in whose name the antecedent form is filled up, shall also furnish the following information:
- (i) Whether the applicant or the company earlier operated any Private Security Agency, either individually or in partnership of others and if so, the details thereof; and
 - (ii) Whether the applicant possesses any special qualification or skill, which may facilitate his operations of Private Security Agency.
- 4. Verification of character and antecedents of the private security guard and supervisor:-** (1) Before any person is employed or engaged as a security guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manners: -
- (a) by verifying the character and antecedent of the person by itself,
 - (b) by relying upon the character and antecedent verification certificate produced by the person:
Provided that the character and antecedent certificate shall be valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source; as prescribed herein under, produced by the person.
 - (c) by relying on the report received from the police authorities signed under the authority of the District Superintendent of Police or an officer of the equivalent or higher rank.

- (2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit Form II to the Agency. If the person has stayed in more than one District during the last five years, the Number of forms will be as many as Districts.
- (3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of Police.
- (4) The State Government may prescribe the form and the manner in which the fee is to be deposited for the service of character and antecedent verification by Police.
- (5) The police will establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality where the person claims to have resided or residing and ascertains his identity and reputation from the respectable residents of the locality. They will also consult the police station record of the concerned police station and other records at the District Police Headquarter before preparing the character & antecedents verification report. This report will contain the comments of the police on every claim of the person in character and antecedent Form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification. The police will specially state if there is a criminal case registered against the person at any point of time or if he has ever been convicted of criminal offence punishable with imprisonment.
- (6) The police will specially comment if the engaging or employing the person under verification by the Private Security Agency will pose a threat to National Security.
- (7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of the character and antecedent form.
- (8) The report of the police regarding character and antecedents of a person will be graded as confidential. It will be addressed in named cover to a designated officer of the Security Agency requesting for character and antecedents.
- (9) Character and antecedents verification report once issued will remain valid for three years.

(10) On the basis of police verification and on the basis of their own verification, the Agency shall issue in Form III a character certificate and this certificate will not be taken back by such Agency even if the person ceases to be the employee of that Agency.

5. Security training :-(1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the security guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-serviceman and former police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over at least seven working days.

(2) The training will include the following subjects, namely: -

- (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
- (b) physical fitness training;
- (c) physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, household security;
- (d) fire fighting;
- (e) crowd control;
- (f) examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
- (g) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered in the identification documents, arms license, travel documents and security inspection sheet;
- (h) identification of improvised explosive devices;
- (i) first-Aid;
- (j) crisis response and disaster management;
- (k) defensive driving (compulsory for the driver of Armored vehicle and optional for others));
- (l) handling and operation of non-prohibited weapons and firearms (optional);
- (m) rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the police station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);
- (n) badges of rank in police and military forces;
- (o) identification of different types of arms in use in public and Police;
- (p) use of Security equipments and devices (for example; security alarms and screening equipments); and
- (q) leadership and management (for supervisors only).

- (3) The security guard will have to successfully undergo the training prescribed by the competent Authority. On completion of the training each successful trainee will be awarded a certificate in Form IV by the training institute of organisation.
 - (4) The competent Authority will inspect the functioning of training facility from time of time either by itself or through its own officers. Normally such inspection will be conducted at least twice every year.
 - (5) All the Agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority in the manner prescribed by it.
- 6. Standard of physical fitness for security guards :-** (1) A person shall be eligible for being engaged or employed as security guard if he fulfill the standards of physical fitness as specified below: -
- (i) Height 160 cms (for Female 150 cms), Weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms with and expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement)
 - (ii) Eye sight: far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from color blindness should be able to identify and distinguish color display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
 - (iii) Free from knock-knee and flat foot and should be able to run one Kilometer in eight minutes.
 - (iv) Hearing: free from defect; should be able to hear and respond to the spoken voice and alarms generated by security equipments.
 - (v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
- (2) A candidate should be free from evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
- (3) Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continued maintenance of physical standard as prescribed for the entry level.
- 7. Provision for Supervisors :-** (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.

- (2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.

8. Manner of making application for grant of license :- (1) Every application by an Agency for the grant of a license under clause (1) of Section 7 of the Act, shall be made to the Controlling Authority in the format prescribed in Form V.

- (2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft or banker's cheque showing the payment of fees as prescribed under clause (3) of Section 7, payable to the Controlling Authority of the state concerned where the application is being made.

- (3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.

- (4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of application, grant an acknowledgement to the applicant.

9. Grant of license :- (1) The Controlling Authority, after receiving an application under sub-rule (1) of rule 8 shall grant a license to the private security agency in Form VI after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the license for the area of operation applied for.

- (2) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skill imparted to the private security guards and supervisor of any private security agency.

- (3) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of license of such security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring the required training.

10. Conditions for grant of license :- (1) The licensee shall successfully undergo a training relating to the private security services as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.

- (2) The licensee shall intimate the name, parentage, date of birth permanent address, address for correspondence and the principle profession of each

person forming the Agency within fifteen days of receipt of the license to the Controlling Authority.

- (3) The licensee shall inform the controlling authority regarding any change in the address of person forming the Agency, change of management within seven days of such change.
- (4) The licensee shall immediately intimate to the controlling authority about any criminal charge framed against the persons forming the agency or against the private security guard or supervisors or employed by the Agency, in the course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the person charged against resides.
- (5) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guard and their training as prescribed in these rules as the condition on which the license is granted.
- (6) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of license shall be non-refundable.

11. Renewal of license :- (1) Every Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the license.

- (2) The fees chargeable for renewal of the license shall be the same as for the grant thereof.

12. Conditions for renewal of license :-(1) The renewal of license will be granted subject to the following conditions: -

- (i) The applicant continues to maintain his principle place of business in the jurisdiction of the controlling Authority.
- (ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under subsection (2) of the Section 5 of the Act.
- (iii) The applicant continues to adhere to the license conditions.
- (iv) The police have no objection to the renewal of the license to the applicant.

- (2) The form for application of renewal of license will be same as the form for the application or original license.

13. Appeals and procedure :- (1) Every appeal under sub-section (1) of Section 14 of the Act shall be preferred in Form VII signed by the aggrieved person

or his authorised advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.

- (2) The Controlling Authority may prescribe a fee or the appeal to be filed under Section 14 of the act and the manner in which such fee will be paid.

14. Register to be maintained by the Agency :- The register required to be maintained under the Act by the agency shall be in Form VIII.

15. Photo identity card :- (1) Every photo identity card issued by the Agency under sub-section (2) of Section 17 shall be in Form IX.

- (2) The photo identity card shall convey a full-face image in colour, full name of the private security guard, name of the Agency and the identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.

- (3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Agency and the date up to which the photo-identity card is valid.

- (4) The Photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.

- (5) The photo-identity card issued to the private security guard will be returned to the Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.

- (6) Any loss or theft of photo-identity card will be immediately brought to the notice of the Agency that issued it.

16. Other conditions :- (1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency will issue and make it obligatory for its security guards to put on:

- (a) an arm badge distinguishing the Agency;
- (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
- (c) whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket;
- (d) shoes with eyelet and laces;
- (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency;

- (2) The clothes worn by the private security guard, while on active duty shall be such that they do not hamper in his efficient performance. In particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.

- (3) Every private security guard will carry a notebook and a writing instrument with him.
- (4) Every private security guard while on active security duty will wear and display photo-identity card issued under Section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY PILLAY, Secretary.

Form I**(See rule 3)****Form for verification of Antecedents of Applicant**

Thumb Impression * of the Applicant

Signature of the Applicant

<i>For official use only</i>		
Form number	Name of the police station sent for police verification	Date
(1)	(2)	(3)

Fee Amount Rs.: Cash/D.D. Name of Bank.....

D.D. No.

Date of issue

Please read the instructions carefully before filling the form. Please fill in BLOCK LETTERS. (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for grant of license)

1. Name of applicant (Initials not allowed)
Last name First name
2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name (s) in full
3. Sex (male/female)
4. Date of Birth
5. Place of Birth: Village / Town
District: State & Country
6. Father's Full name/Legal Guardian's Full Name (Including surname, if any): (Initials not allowed)
7. Mother's Full name (Including surname, if any): (Initials not allowed)
8. If married, full name of Spouse (Including surname, if any): (Initials not allowed).....
9. Present Residential Address, including Street No. / police station, village and District (with PIN Code)

-
 Telephone no./Mobile No.
10. Please give the date since residing at the above-mentioned address:
 DD MM YYYY.
-
11. Permanent Address including Street No. /Police station, Village and District (With PIN Code)
-
12. If you have not resided at the address given at COLUMN (9) continuously for the last five year, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five years. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each form.
 From..... To..... From..... To.....

13. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years

14. Other Details: -
 (a) Educational Qualifications:

 (b) Previous positions held if any along with name and address of employers:

 (c) Reason for leaving last employment:

 (d) Visible Distinguishing Mark:

15. Did you earlier operated any Private Security Agency or were its partner, majority shareholder or Director? If yes then furnish the name, address of the Agency and its license particulars.

16. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation : If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship.

17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)

.....

18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence.

.....

19. Self - Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature /T.I. * Applicant)

Date

Place

20. Enclosures:

.....

(* Left Hand thumb impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)

FOR OFFICE USE ONLY

File No.

Date of issue of C & A Report

(Signature of Police Station In Charge) .

Name of Police Station

Name of Police district

* N.B. Cancel whatever is not applicable.

Form II
(See rule 4)

**Form for verification of Character and antecedents
Of Security Guard and Supervisor**

Thumb Impression * of the Applicant

Signature of the Applicant

<i>For official use only</i>		
Form number	Name of the police station sent for police verification	Date
(1)	(2)	(3)

Fee Amount Rs. Cash/D.D. Name of Bank.....

D.D. No.

Date of issue

Please read the instructions carefully before filling the form. Please fill in BLOCK LETTERS: (CAUTION: Please furnish correct information. Furnishing of incorrect information or suppression of any factual information in the form will render the candidate unsuitable for employment/engagement in the Private Agency.)

1. Name of applicant as should appear in the photo-identity card (Initials not allowed)
Last name First name
2. If you have ever changed your name, please indicate the previous name (s) in full
3. Sex (male/female)
4. Date of Birth
5. Place of Birth: Village / Town
District: State & Country
6. Father's Full name/Legal Guardian's Full Name (Including surname, if any): (Initials not allowed)
7. Mother's Full name (Including surname, if any): (Initials not allowed)
8. If married, full name of Spouse (Including surname, if any): (Initials not allowed).....

9. Present Residential Address, including Street No. / police station, village and District (with PIN Code)
-
- Telephone no./Mobile No.
10. Please give the date since residing at the above-mentioned address: DD/MM/YYYY.
11. Permanent Address including Street No. /Police station, Village and District (With PIN Code)
-
12. If you have not resided at the address given at COLUMN (9) continuously for the last five years, please furnish the other address (addresses) with duration(s) resided. You should furnish additional photocopies of this form for each additional place of stay during the last five years. Forms may be photocopied, but photograph and signature in original are required on each form.
- From.....To.....From.....To.....
-
13. In case of stay abroad particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of twenty-one years.
-
14. Other Details: -
- (a) Educational Qualifications:
- (b) Previous posts held if any along with name and address of employers:
-
- (c) Reason for leaving last employment:
-
- (d) Visible Distinguishing Mark:
- (e) Height (cms):
15. Are you working in Central Government /State Govt/PSU/Statutory Bodies Yes/No.
-

16. Are you a citizen of India by: Birth/Descent/Registration/Naturalisation : If you have ever possessed any other citizenship, please indicate previous citizenship

17. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment? If so, give name of the court, case number and offence. (Attach copy of judgment)

18. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If so, give name of court, case number and offence.

19. Has any court issued a warrant of summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, name of court, case number and offence.

20. Self - Declaration:

The information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature /T.I. * Applicant)

Date

Place

(* Left Hand thumb impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)

21. Particulars of person to be intimated in the event of death or accident:

Name

Address

Mobile /Tel No.

22. Enclosures:

(Signature /T.I. * Applicant)

FOR OFFICE USE ONLY

File No.

Date of issue of C & A Report

(Signature of Police Station In Charge)

Name of Police Station

Name of Police district

* N.B. Cancel whatever is not applicable.

Form III

(See rule 4)

CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms..... Son/Daughter of
..... Whose particulars are given below has good moral
character and reputation and that the applicant has been staying at the following
address continuously for the last one year.

Date of Birth:

Place of Birth:

Educational Qualification:

Profession:

Present Address:

Permanent Address:

Issuing Authority

Signature

Name

Designation

Address / Tel No.

Date of Issue

Form IV
(See rule 5)
Training Certificate

Serial number

Name of the Training Agency
Address of the Training Agency
License No.

Certified thatson/daughter ofresident of
.....has completed the prescribed training for the engagement or employment as a
Private Security Guard fromtill

His signature is attested below.

Signature of the Certificate Holder

Signature of issuing authority
Designation

Place of issue

Date of issue

Form V
(See rule 8)

**APPLICATION FOR NEW LICENSE / RENEWAL OF LICENSE TO
ENGAGE IN THE BUSINESS OF PRIVATE SECURITY AGENCY**

To,

The Controlling Authority,
(Private Security Agencies)
Government of Chhattisgarh
Home Department,
Mantralaya, RAIPUR

The undersigned here by applies for obtaining a license to run the business of operating services in the area of Private Security Agencies.

1. Full name of applicant:
 2. Nationality of the applicant:
 3. Son/wife/daughter of:
 4. Residential Address:
 5. Address, where the applicant desires to start his agency:
 6. Name of the Private Security Agency:
 7. Name and addresses of Proprietor, partner, Majority, shareholder, Director and Chairman of the Agency:
 8. Name and extent of facilities available:
 9. Qualification of staff engaged for imparting instructions;
- Name
- Age.....
- Designation
10. Equipments which will be used for Security services
 - (a) Door Framed Metal Detector (DFMD)
 - (b) Hand Held Metal Detector (HHMD)

- (c) Mine Detector
- (d) Other Detectors
 - i. Wireless Telephones
 - ii. Alarm Devices
 - iii. Armored Vehicles
 - iv. Arms

11. The particulars of the uniform including color in case the applicant intends to use any uniform for the Private Security Guards and Supervisors of the Agency:

12. Does the applicant intend to operate in more than one district? If so the name of the Districts 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

13. Does the applicant intend to operate in the entire state?

14. Does the applicant possesses the training facility in its own or will get it on outsourcing basis? The name and address of training facility should be furnished.

Signature

Name of Applicant

Address of the Applicant

Telephone number of the applicant

Date of application

Enclosure:

1. Copy of current Income tax Clearance Certificate.
2. Affidavit as prescribed in Section 7 sub-section (2) of the Act
3. Other enclosures.

Form VI
(See rule 8)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

License to engage in the business of Private Security Agency

Serial No. _____

Date _____

Shri _____ (Name of the Applicant)

S/o _____ r/o _____

_____ (Full Address)

is granted the license by the Controlling Officer for the State of Chhattisgarh to run the business of Private Security Agency in the district(s) of /State of (Strike of the inapplicable words) _____

with office at _____ (address of the office)

Place of Issue _____

Date of Issue _____

This License is valid up to _____

Signature

Name of granting Authority

Designation

Official Address

RENEWAL
(See rule 8)

Date of Renewal

1.

2.

3.

4.

Date of Expiry

Signature

Name of renewing Authority

Designation

Official Address

Form VII
(See rule 9)

Form for Appeal

An Appeal under section 14 of the Act

Appellant _____

S/o _____ r/o _____

Versus

Controlling authority _____

The _____ above named appeal to the _____ (State Home Secretary) _____ from the order of (Controlling Authority) dated _____ day of _____ and against refusal of license to run Private Security Agency _____ and sets forth the following grounds of objection to the order appeal from namely _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Enclosed list of documents

.....

Signature
Name and Designation of the Appellant

Date
Place

Form VIII
(See rule 10)

Register of Particulars

(Part -I Management details)

S.No.	Name of person(s) managing the Agency	Parent's Father's name	Present Address & phone no.	Permanent Address	Nationality	Date of joining /leaving the Agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(Part -II Private Security Guards and Supervisor)

S.No.	Name of Guard/Supervisor	Father's name	Date of joining /leaving the Agency	Permanent Address	Photograph	Badge No.	Salary with date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							

(Part -III Customers)

S.No.	Name of the Customer & Phone no.	Address of the place where Security is provided	Number and ranks of Security Guards provided	Date of commencement of services	Date of discontinuation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

(Part -IV Duty Roster)

S.No.	Name of the Private Security Guard / Supervisor	Address of the place of duty	Whether provided with any arms/ammunition	Date and time of commencement of duty	Date and time of ending of duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

Form IX
(See rule 11)

Photo-Identity card for Private Security Guard/Supervisor

(Name of the Private Security Agency)

Name

Official Designation

Identification No.

Date of issue

Valid up to

Signature of the cardholder

Signature of the
issuing authority

Official seal